

दिनांक 29/3/23 की पेश हो। 28

29/3/23 पत्रावली पेश हुई। वादी एवं  
वादी वकील अनुपस्थित। सुनवाई 0-9 R-2/  
0-9 R-5 में खारीज किया गया है। प्रार्थना-पत्र  
212 आदेश दिनांक 3/11/20 को इसी तरह  
पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली फॉर्मल नुमांदा है और  
नाम्बर से कम है। बाद पूर्ण वारिफाई वफर  
हो। सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
बहादुर (अलका) राज.